न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

उपस्थित :– मानस कुमार
अवर न्यायाधीश तृतीय

स्वत्व वाद संख्या :– 131/2015
CIS No. :– TS/279/2018
CNR No. :– BRWC22–000275–2018

कृपा मिश्र बनाम् **विरेन्द्र मिश्र**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
21.02.2022	अभिलेख पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी व प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र दिनांक 06.02.2021 पर उभयपक्ष को सुना गया। **निस्तारण प्रार्थनापत्र दिनांक**–06.02.2021 प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2021 प्रतिवादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि असल बैनामा दिनांकित 16.08.1976 मुसम्मात चंद्रेसरा देवी बहक वंशराज मिश्र व कृपा मिश्र जो विवादित खेसरा से संबंधित है एवं प्रमाणित प्रतिलिपि जांच प्रतिवेदन दिनांकित 03.08.2013 जो थानाध्यक्ष लौरिया द्वारा किया है जिसको प्रतिवादी की तरफ से पूर्व में दाखिल नहीं किये जा सके थे जिन्हे आज दाखिल किया जा रहा है। अत: दाखिल सबूत स्वीकार करने की कृपा करें। वादी की ओर से आपत्ति की गयी है। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा वाद के गुणदोष के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 06.02.2021 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है। **आदेश** प्रार्थनापत्र दिनांक 06.02.2021 रू० 500/– हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। सूची से दाखिल सबूत अभिलेख पर रखा जाता है। अभिलेख वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक–14.03.2022 को पेश हो। (मानस कुमार) अवर न्यायाधीश तृतीय न्याय कक्ष–4 नरकटियागंज।	

न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

उपस्थित :— मानस कुमार
अवर न्यायाधीश तृतीय

स्वत्व वाद संख्या :— 131/2015
CIS No. :— TS/279/2018
CNR No. :— BRWC22–000275–2018

कृपा मिश्र बनाम् **विरेन्द्र मिश्र**

क्रमशः: **21.02.2022**	प्रार्थनापत्र दिनांक 17.02.2021 पर उभयपक्ष को सुना गया। **निस्तारण प्रार्थनापत्र दिनांक**—17.02.2021 प्रार्थना पत्र दिनांक 17.02.2021 प्रतिवादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि असल बैनामा दिनांकित 16.08.1976 मुसम्मात चंद्रेसरा देवी बहक वंशराज मिश्र व कृपा मिश्र जिसको प्रतिवादी सक्षम अभिरक्षा से लेकर इस वाद में दाखिल किया है जो तीस वर्ष पुराना है एवं प्रमाणित प्रतिलिपि जांच प्रतिवेदन दिनांकित 03.08.2013 जो थानाध्यक्ष लौरिया द्वारा किया है, जो लोक दस्तावेज है। अतः इसको प्रदर्श करने की कृपा करें। वादी की ओर से लिखित एवं मौखिक आपत्ति की गयी है। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित है कि असल बैनामा दिनांकित 16.08.1976 की अभिरक्षा प्रतिवादी द्वारा साबित नहीं किया गया है। अतः इस असल दस्तावेज को प्रदर्श अंकित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रमाणित प्रतिलिपि जांच प्रतिवेदन दिनांकित 03.08.2013 जो थानाध्यक्ष लौरिया द्वारा किया है, जो लोक दस्तावेज है। अतः इसे प्रदर्श अंकित किया जाता है। प्रार्थना पत्र दिनांक 17.02.2021 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। पीठ लिपिक को आदेशित किया जाता है कि जांच प्रतिवेदन दिनांकित 03.08.2013 को क्रम रूप में प्रदर्श अंकित करें। अभिलेख वास्ते प्रतिवादी साक्ष्य हेतु दिनांक—14.03.2022 को पेश हो। (मानस कुमार) अवर न्यायाधीश तृतीय न्याय कक्ष—4 नरकटियागंज।	